भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र
(नवीनीकरण)

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक
मथुरा।

पत्रांक 01 /23-24 दिनांक 28-4-23

विषय :- **जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय/स्कूल भवनों का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :- **आपका पत्र दिनांक 22.03.2023 के सन्दर्भ में।**

महोदय,

उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 22.03.2023 के क्रम में आप द्वारा चाही गयी भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र के क्रम में मांगी गयी सूचना निम्नानुसार है :-

1. **विद्यालय का नाम- निबोधिता विद्या मन्दिर जमुनावता पालई गोवर्धन रोड़ मथुरा।**
2. **विद्यालय तक पहुंच मार्ग:-** उपलब्ध।

प्रमाणित किया जाता है कि गोवर्धन में मौजूदा भवन निबोधिता विद्या मन्दिर में भूतल पर 15 कक्षों के अतिरिक्त 02 आफिस कक्ष, 02 हाल तथा प्रथम तक (ऊपरी तल) पर 17 कक्ष व 1 हाल निर्मित हैं। भूतल से प्रथम तल एवं छत पर आने जाने हेतु 02 झीना निर्मित है। निबोधिता विद्या मन्दिर के स्वामित्व में निर्मित, उपरोक्त भवन निर्माण में राष्ट्रीय भवन संहिता नियमों के अनुसार भवन सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। सम्बन्धित ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा श्रीमती शशिबाला शर्मा, प्रबन्धक गोवर्धन मथुरा उपस्थिति में उक्त विद्यालय का निरीक्षण दिनांक 24.04.2023 को करने पर पाया कि, बारहवीं कक्षा तक अधिवास हेतु विद्यालय भवन टिकाऊ एवं मजबूत है तथा नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकों एवं लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप है। भवन पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं मजबूत है।

24-4-23

(राजपाल सिंह)
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-मथुरा

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-मथुरा